न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 26/2012 **(75 एल.आर.एक्ट)**

उनवान

1. कन्नी पुत्र श्री हीरा जाति नाई,
2. किशोर पुत्र श्री रामदयाल जाति नाई,
3. रमेश पुत्र श्री रामदयाल जाति नाई,
4. महेश पुत्र श्री रामदयाल जाति नाई,
5. मु0 मनबी बेवा श्री रामदयाल जाति नाई निवासीयान ग्राम तूलेड़ा तहसील व जिला अलवर ।

.... अपीलांट्स

बनाम

1. कैलाश पुत्र श्री भगवानी जाति चमार निवासी ग्राम तूलेड़ा तहसील व जिला अलवर ।

.... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :–
1. श्री पलटू खॉ अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री भोलाराम शर्मा अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :– 15.03.2018

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी अलवर के निर्णय दि0 20.09.2010 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दि0 17.07.2010 में आराजी ख0 नं0 1587 रकबा 20 ऐयर वाके ग्राम तूलेड़ा को राजस्थान सरकार के प्रपत्र एफ–1(15)राजस्व/पुर्न/2009 जयपुर दिनांक 6.10.2009 के प्रावधाननुसार एवं जिला कलक्टर अलवर के पत्रांक पुर्नवास/2010/250 दिनांक 30.4.2010 के निर्देशानुसार श्री केलाश पुत्र भगवानी जाति चमार निवासी तूलेड़ा जिला अलवर के लिए अवैद्य बेचान को नियमित किये जाने हेतु सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया । प्रार्थी द्धारा चालान नं0 22 दिनांक 3.9.2010 से राशि 81770 रू0 कीमत जमीन एवं शास्ति जमा कोष करा दी गई है । अतः आराजी ख0 नं0 1587 रकबा 20 ऐयर वाके ग्राम तूलेड़ा की श्री कैलाश पुत्र भगवानी जाति चमार निवासी तूलेड़ा जिला अलवर को दिनांक 20.9.2010 से खातेदारी प्रदान करने के आदेश पारित कर

दिये जिस आदेश दिनांक 20.9.2010 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब की जाकर विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी । अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि ख0 नं0 1587 रकबा 20 ऐयर वाके ग्राम तूलेड़ा में स्थित है । जमाबन्दी सम्वत् 2051 के अनुसार मु0 नारायणी बेवा हीरालाल 1/3 हिस्सा, मु0 मनसी बेवा रामदयाल, किशोर, रमेश, महेश पि0 रामदयाल 1/3 हिस्सा स.भा. कन्नूराम पुत्र हीरालाल 1/3 हिस्सा कौम नाई सा0देह गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है ।

उपखण्ड अधिकारी अलवर ने दो झूंठे शपथपत्रों दिनांक 22.7.2010 व 26.7.2010 के आधार पर उक्त भूमि के आवंटन बाबत कैलाश जाति चमार के पक्ष में सहमति दे दी जबकि अपीलांट की कोई सहमति नहीं है । शपथपत्र फर्जी है । फर्जी दस्तावेजों के विरूद्ध हमने एफ.आई.आर. दर्ज करायी है । चारों आदमी नरेश, महेश, किशोर व कन्नू के चारों के नमूना हस्ताक्षर एफ.एस.एल. को भिजवाये गये । वहां से हस्ताक्षर गलत माने गये, उसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है । इसमें कैलाश रेस्पो0 गिरफ्तार हुआ । इन झूंठे शपथपत्रों की हमें जानकारी नहीं थी । जब हमें पता चला कि कैलाश ने दि0 24.2.2011 को लक्ष्मीदेवी को जमीन बेच दी और वह मौके पर 18.3.2012 को गयी तो हमें पता चला । नकल प्राप्त की तथा दि0 16.4.2012 को यह अपील पेश कर दी । मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र पेश करके उपरोक्त आधार पर डिले कन्डोन किये जाने योग्य है ।

फर्जकारी करके शपथपत्र तैयार करके जो पट्टा जारी किया उसकी अपीलांट को कोई जानकारी नहीं है । अपीलांट को कोई सूचना नहीं दी गई है । मिली भगत से यह कार्य किया गया है । एफ.एस.एल. रिपोर्ट एवं एफ.आई.आर. के आधार पर तथा आरोप पत्र के आधार पर फर्जी पट्टा निरस्त होना चाहिए । जहां तक एफ.आई.आर. में राजीनामा होने की बात है, यह जबरदस्ती कराया है । धारा 420 आई.पी.सी. में राजीनामा कराया है । शेष में कार्यवाही चल रही है । कब्जा आज तक हमारा है । मौके पर हम काबिज हैं । राजीनामा का रेस्पो0 फायदा नहीं ले सकते हैं क्योंकि एफ.एस.एल. रिपोर्ट कहती है कि शपथपत्र झूंठे हैं । अतः पट्टा निरस्त किया जावें । अपीलांट को खातेदार घोषित किया जावें ।

जवाब बहस में रेस्पो0 अभिभाषक का कथन है कि सर्वप्रथम यह अपील मियाद बाहर पेश की है । अतः पहले मियाद अधिनियम की धारा 5 तय की जानी चाहिए । अपीलांट दि0 18.3.2012 को जानकारी होना बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मौके पर कैलाश आया और उसने धमकी दी तथा कब्जा करना चाहा और बहस में खरीददार द्वारा बहस किया जाना बता रहे हैं । दिनांक 24.2.2011 को खरीददार का इन्तकाल दर्ज हो गया तो मौके पर कैलाश क्यों जायेगा तथा क्यों धमकी देगा और अपील दि0 16.4.2012 को पेश कर रहे हैं । अतः कॉज ऑफ एक्शन पैदा ही नहीं हो रहा है तथा लिमिटेशन का आधार बनाया है, वह गलत है । अतः इस आधार पर ही अपील मैन्टेनेबिल नहीं है । मौके पर हम काबिज हैं । अपील में लक्ष्मी को पक्षकार क्यों नहीं बनाया है । उनका नाम रेकार्ड में है तो पक्षकार बनाया जाना चाहिए । बिना उन्हें सुने उनकी खातेदारी समाप्त करने की अपील कानूनन सुनी नहीं जा

सकती है । अतः लक्ष्मी आवश्यक पक्षकार होने से तथा पक्षकार मुकदमा नहीं बनाने से अपील काबिल खारिजी के है । एफ.एस.एल. की रिपोर्ट के बारे में कहना है कि यह फाईनल नहीं है । यह भी साक्ष्य से तय की जानी है । फौजदारी प्रकरण यहां राजस्व न्यायालय में लागू नहीं होता है । विवादित आराजी पर रेस्पो0 के दादा झूंथा का सन् 1955 से कब्जा काश्त रहा है । पत्रावली का अवलोकन करें । दि0 10.7.1982 को मेरे प्रार्थना पत्र पर जांच हुई है। सन् 1955 से हमारा कब्जा माना है तथा 1982 में मैंने कीमत जमा करायी है । पुराना 1.05 बीघा रकबा था, 15 बिस्वा पर रेस्पो0 ने कीमत (राशि) जमा करायी है । पटवारी ने भी दि0 4.10. 1982 को रिपोर्ट की है । इस प्रकार यदि सम्वत् 2013 में मेरा कब्जा वैसे ही है तो भी मैं खातेदार हो गया ।

शपथपत्र झूंठा नहीं है । पटवारी ने जांच की है तब हमें कीमतन जमीन आवंटित हुई है । नामान्तकरण दर्ज करके खातेदारी मिली है । पहले झूंथा ने राशि जमा करायी और फिर पुनः रेस्पो0 ने कीमत जमा करायी है । उसी आधार पर आवंटन सलाहकार समिति ने जांच करके रेस्पो0 को आदेश दिनांक 20.9.2010 से विवादित आराजी को नियमित करते हुए खातेदारी दी है । रेस्पो0 का कहना है कि विवादित आराजी पर इनका पुराना कब्जा काश्त मानकर कीमतन खातेदारी आवंटन सलाहकार समिति ने दी है । उसका नामान्तकरण दर्ज हुआ है जिसकी आदिनांक तक कोई अपील दर्ज नहीं हुई है । आवंटन सलाहकार समिति में कई सदस्य होते हैं जो मौके पर समस्त प्रकार की जांच करके सही निर्णय पारित करते हैं । कस्टोडियन जमीन पर कीमतन खातेदारी अधिकार प्रदान करने का प्रावधान है । हमने कीमत जमा करायी है और सही खातेदारी प्रदान की है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें ।

जवाब उल जवाब में अपीलांट अभिभाषक का पुनः कथन है कि रेकार्ड में मेरे दादा हीरा का नाम है । लक्ष्मीदेवी को बेचान गलत किया है तथा उसका रेकार्ड में नाम नहीं है तो उसे पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है । अपील स्वीकार की जावें ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । आवंटन सलाहकार समिति के आवंटन आदेश का अवलोकन किया गया । उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । अपीलांट अभिभाषक ने अपील के दौरान दस्तावेज इस आशय का पेश किया कि सिविल न्यायालय में पक्षकारान के मध्य 420 आई.पी.सी. की धारा के तहत राजीनामा भी हुआ है ।

विवादित आराजी ख0 नं0 1587 रकबा 20 ऐयर वाके ग्राम तूलेड़ा तहसील अलवर कस्टोडियन जमीन रेकार्ड से साबित है । कस्टोडियन जमीन का आवंटन होने पर पट्टा (सनद्) जारी की जाती है । कीमतन आवंटित करके खातेदारी अधिकारी प्रदान किये जाते हैं ।

विवादित आराजी में दो साबिक रेकार्ड पर दौराने बहस चर्चा हुई है । अपीलांट का रेकार्ड से कथन है कि यह जमीन अपीलांट की गैर खातेदारी में दर्ज है तथा उना कब्जा काश्त है । रेस्पो0 का कथन है कि विवादित आराजी पर उनके दादा झूंथा का सन् 1955 से ही कब्जा काश्त है तथा उन्हें खातेदारी अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं । सम्वत् 2015 में इस आराजी के साबिक ख0 नं0 1214/206 कुल रकबा 4.15 बीघा में से 15 बिस्वा भूमि पर झूंथा पुत्र कजोड़ा चमार सा0देह पट्टेदार साल एक कस्टोडियन दर्ज है । सम्वत् 2013–16 तक खसरा गिरदावरी से कब्जा होना अवगत कराया है । यह भी बहस में रेस्पो0 का कहना है कि शेष जमीन को अपीलांट स्वयं तलाश करें कि कहा गयी ।

उक्त बहस के विवेचन एवं रेकार्ड अवलोकन के साथ कैलाश द्वारा उक्त आराजी को आवंटन बाबत 1982 मे भी आवेदन किया गया है तथा दि0 17.7.2010 के प्रार्थना पत्र में पटवारी हल्का ने स्पष्ट रिपोर्ट में अंकित किया है कि रेकार्ड में हीरा वगैरा का नाम है परन्तु मौके पर कब्जा कैलाश पुत्र भगवानी चमार का है और आवंटन सलाहकार समिति ने यह जमीन कीमतन आवंटित की है । जहां तक शपथपत्रों का प्रश्न है, यह बिन्दु तत्कालीन समय में ही उपखण्ड अधिकारी जो आवंटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी होते हैं के समक्ष पेश किया था । कीमतन आवंटित जमीन का नामान्तकरण दर्ज करके खातेदारी प्रदान की गयी है । कब्जे के संबंध में अपीलांट का ऐसा कोई साक्ष्य या दस्तावेज नहीं है जिससे कि उनका कब्जा मौके पर सिद्ध होता हो । पटवारी रिपोर्ट तथा पूर्व में कीमतन आवंटन का प्रार्थना पत्र आदि से कब्जा काश्त रेस्पो0 को पाया जाता है । अतः इन सभी आधार पर कीमतन आवंटित कस्टोडियन आराजी पर दी गई खातेदारी को निरस्त करने का अपील में कोई आधार नहीं है ।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी अलवर का आदेश दि0 20.9.2010 यथावत रखा जाता है । खर्चा अपना-अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 15.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

15/3/18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर